चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 11.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 11.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 11.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार की उपस्थिति में थाना राजापुर में थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनाँक 11.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल की उपस्थिति में थाना रैपुरा में थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात थाना रैपुरा में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर कमियों से अवगत कराते हुए भवन को जल्द से जल्द निर्माण करने तथा थाना परिसर में महाकुंभ के दृष्टिगत साफ – सफाई तथा पानी की व्यस्था कराये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को निर्देशित किया गया।

(5). आज दिनाँक 11.01.2025 को आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल श्री अजीत कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0,पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में थाना दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण हेतु निर्देशित किया तत्पश्चात महोदय द्वारा कोतवाली कर्वी परिसर में बने भवन का निरीक्षण कर परिसर की साफ –सफाई, शौचालय की समुचित व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृता पाल कौर, उपजिलाधिकारी सदर पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). आज दिनाँक 11.01.2025 को महाकुंभ- 2025 की महत्वपूर्ण बैठक मंडलायुक्त चित्रकूटधाम बांदा श्री अजीत कुमार की अध्यक्षता में पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में महोदय ने समीक्षा बैठक के दौरान नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग, होल्डिंग एरिया, परिवहन सुविधा, साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति,पार्किंग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा ने कहा कि जो पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा महत्व पूर्ण बिंदु आप लोगों को बताएं गए हैं उन बिंदुओं पर सभी विभाग ध्यान देकर कार्य करें तो कुंभ मेला के दौरान कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी विभागों का समन्वय आपस में अच्छा होना चाहिए सभी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं को खुद जाकर देखें कि वास्तव में कार्य हो रहा है कि नहीं अगर समस्या है तो जिलाधिकारी को अवगत कराएं उसका निस्तारण कराया जाएगा जिला स्तरीय अधिकारी बिना जिलाधिकारी के अनुमति के जिले से बाहर नहीं जाएंगे सभी बिंदुओं की कार्यवाही प्रत्येक दशा में सोमवार तक हो जाना चाहिए। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से कहा कि होल्डिंग एरिया का निरीक्षण कर ले कोई कमी हो तो संबंधित विभागों को निर्देश देकर निस्तारण कराया जाए। उन्होंने अधिशासी

अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए की जो पार्किंग व्यवस्था की गई है उसके अलावा तीर्थ क्षेत्र के नजदीक दिव्यांग लोगों के लिए भी एक अलग से पार्किंग चिन्हित की जाए ताकि जो दिव्यांग यहां पर मोटराइज्ड गाड़ी एवं ट्राई साइकिल लेकर आएंगे उनकी भी व्यवस्था हो सके इसके साथ-साथ रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था अच्छी रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा संचालित रहे कोई भी आवारा पशु नहीं घूमना चाहिए। अधिशासी अभियंता जल संस्थान से कहा कि टैंकरों की व्यवस्था सभी होल्डिंग एरिया एवं पार्किंग स्थलों तथा मेला क्षेत्र पर सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि रामघाट मां मंदाकिनी गंगा पर बैरिकेडिंग गोताखोर,नाव सीढ़ियों की साफ सफाई व्यवस्था कर ले सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करें कागजों पर खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए की होल्डिंग एरिया पार्किंग स्थल व तीर्थ क्षेत्र पर विद्युत तार पोल आदि चेक करके ठीक करा लें और कुंभ मेला के दौरान जब श्रद्धालु यहां पर आएंगे तो सभी अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे अग्नि शमन अधिकारी से कहा कि तीर्थ क्षेत्र होल्डिंग एरिया पर फायर सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि जिन ग्राम पंचायतों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है वहां पर सभी व्यवस्थाएं कराया जाए और निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाए, सहायक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिटी बस की व्यवस्था की जाए किराया सूची भी मुख्य स्थानों पर लगाया जाए जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से कहा कि रेलवे तथा जीआरपी से समन्वय लगातार स्थापित करते हुए ट्रेनों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ आदि की निगरानी व व्यवस्थाओं के बारे में करते रहे, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि सड़कों की गड्ढा मुक्ति साइनेज बोर्ड प्रत्येक दशा में हो जाना चाहिए कोई समस्या हो तो अवगत कराया जाए उसका निस्तारण कराया जाएगा ।
पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि जनपद चित्रकूट में मेला हर माह सकुशल संपन्न कराया जा रहा है इसके साथ महाकुंभ- 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है जो 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा उसके लिए सभी जनपद में व्यवस्था कर लिया गया है होल्डिंग एरिया की सभी बेसिक सुविधाएं पूरी हो जाए क्योंकि अगर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है तो वहां के निर्देश के क्रम में जनपद की होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोका जाएगा श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करें सभी बैरियरों पर चेकिंग अवश्य किया जाए पार्किंग स्थलों पर किराया सूची का बोर्ड भी लगाया जाए रेलवे विभाग व जीआरपी आपस में समन्वय स्थापित करके रेलवे ट्रैक की भी निगरानी करते रहे अराजक तत्वों को देखते हुए यह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए कुंभ का मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है पूरे मेला क्षेत्र की अच्छी तरह से साफ सफाई व्यवस्था रहे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए उन्होंने जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपस में समन्वय स्थापित करके कुंभ मेला को सकुशल संपन्न कराए।
पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान जनपद की पुलिस फोर्स को जनपद प्रयागराज के महाकुंभ की ड्यूटी से मुक्त किया गया है जनपद में प्रत्येक माह अमावस्या मेला संपन्न कराया जा रहा है मेला क्षेत्र को 8 जोन तथा 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है साथ ही जनपद में आठ होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं करके पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है इसके अलावा कर्वी से राजपुर रोड एनएच मार्ग पर भी सशस्त्र पुलिस बल लगाया गया है शाही स्नान के दिन भारी वाहनों को डायवर्जन किया जाएगा जनपद में मुख्य सड़कों पर बैरियर भी स्थापित किये गये है जहां पर चेकिंग भी कराई जा रही है यहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था है कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक से कहा कि आप द्वारा जो महाकुंभ-2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका समस्त विभागों से अक्षरशः पालन कराकर महाकुंभ -2025 मेला को सकुशल संपन्न कराया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर,अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम,अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री राजेश प्रसाद, उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, उप जिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री इंद्र नारायण सिंह, अधिशासी अभियंता जल संस्थान श्री डीके सत्संगी, सिंचाई श्री एसके प्रसाद, विद्युत श्री दीपक सिंह, लोक निर्माण विभाग सहित समस्त अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(7). आज दिनांक 11.01.2025 को मंडलायुक्त चित्रकूटधाम बांदा श्री अजीत कुमार एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में महाकुंभ-2025 के दृष्टिगत शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली कर्वी अंतर्गत अंतर्राज्यीय बैरियर देवांगना घाटी, थाना भरतकूप अंतर्गत अंतर्जनपदीय बैरियर बुंदेलखंड जीरो प्वाइंट का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मंडलाआयुक्त महोदय ने बैरियर पर लगे भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया कि आप लोग मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करें। पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया कि अगर फोर्स की जरूरत है तो अवगत कराए, किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की पहचान करने व जंगल का रास्ता होने के कारण विशेष सावधानियों के बारे में बताया गया तथा सुधार हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया।
महाकुंभ-2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में कुल 07 मोर्चे बनाए गए है जिनमें से 04 अंतर्राज्यीय एवं 03 अंतर्जनपदीय बॉर्डर पर 02 शिफ्ट में कुल 77 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। जिसमें से 07 प्रभारी निरीक्षक,14 उपनिरीक्षक व कुल 56 आरक्षी/मुख्य आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है साथ ही सभी बैरियर/बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह व पीआरओ श्री प्रवीण सिंह मौजूद रहें।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 अरमान आलम तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सोमदत्त पुत्र विशोषर निवासी ग्राम रेहुटा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री अरमान आलम
2.उ0नि0 यू0टी0 श्री अभिनव प्रताप सिंह
3.आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह
4.आरक्षी सचिन कुमार
5.आरक्षी दीपक सिंह

(9). माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक सार्थक पहल करते हुए व्हाट्सएप पर सक्रिय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप मे जोड़ा गया था। वर्ष 2023 में उ0प्र0 पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर "व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप" भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यो का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उ0प्र0 पुलिस के अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी हेतु "डिजिटल वॉरियर" बनाए जाने के सम्बन्ध मे दिए गए निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री निशिकान्त राय एवं उनकी टीम द्वारा गोस्वामी तुलसीदास स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय में साइबर जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को "डिजिटल वॉरियर" के सम्बन्ध में एवं साइबर योद्धा के बारे में जानकारी दी गयी जिसमें सभी को बताया गया कि किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके उ0प्र0 पुलिस के "डिजिटल वॉरियर" बनकर, साइबर क्राइम एवं फेक न्यूज़ को रिपोर्ट करें साथ ही छात्र अपने सामाजिक दायरे में फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध के प्रति अपने परिवारीजनों एवं मित्रों को भी जागरूक करते रहे। महाविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके 'साइबर क्लब' स्थापित करवाया गया एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम लूट के 03 आरोपी अभियुक्तों को एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारसूत व 03 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तगण नाम व पताः-

1. सनी वाल्मीकि पुत्र छुट्टन निवासी सोनारी थाना धाता जनपद फतेहपुर
2. अरुण कुमार पुत्र रजित कुमार निवासी सोनारी थाना धाता जनपद फतेहपुर
3. राजू पासी पुत्र भवानीदीन निवासी नरसिंहपुर कवरहा थाना धाता जनपद फतेहपुर

बरामदगीः-

1. 03 अदद मोबाइल
2. अभियुक्तों के कब्जे से 540/- रूपये
3. एक अदद देशी तमंचा व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4.मोटर साइकिल UP 71 BE 8969 पल्सर रंग सफेद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक

नादिन कुर्मियान चोरहा पुल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट, दिनाँक 11.01.2025

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.01.2025 वादी गंगाप्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री संतोष कुमार द्विवेदी निवासी बिहटा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि दिनाँक 28.12.2024 को मैं अपनी मोटर साइकिल से ग्राम सिकरी सौर्य उर्जा प्लांट में काम करने जा रहा था कि ग्राम सिकरी के आगे तालाब के पास पल्सर मोटर साइकिल से 03 लड़के आकर मेरे साथ गाली गलौज कर मारपीट की और जेब में रखे एक हजार रूपये व ओपो मोबाइल छिन ले गये। इस पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 309(2) बीएनएस बनाम अज्ञात उपरोक्त पंजीकृत किया गया। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा

निर्देश दिए गये। प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा उ0नि0 इमरान खान व उनकी टीम को लगाया गया। उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा आज दिनाँक 11.01.2025 को महाकुंभ पर्व की चेकिंग के नादिन कुर्मियान चोरहा पुल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट से अभियुक्त 1. सनी वाल्मीकि पुत्र छुट्टन निवासी सोनारी थाना धाता जनपद फतेहपुर 2. अरुण कुमार पुत्र रजित कुमार निवासी सोनारी थाना धाता जनपद फतेहपुर 3. राजू पासी पुत्र भवानीदीन निवासी नरसिंहपुर कवरहा थाना धाता जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सनी वाल्मीकि की जामातलाशी से एक अदद मोबाइल ओप्पो कम्पनी रंग जामून व 150/- रूपये, अभियुक्त अरुण कुमार के कब्जे से 01अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारसूत 315 बोर, 220/- रूपये, व अभियुक्त राजू पासी के कब्जे से 02 अदद मोबाइल वीवी कम्पनी रंग आसमानी, रियल्मी रंग काला व 170/- रूपये बरामद हुए। मोटरसाइकिल उपरोक्त के बारे में पूछने पर बताये कि साहब हमलोग इसी मोटरसाइकिल से मिलकर घटना को कारित किया था। बरामद मोटर साइलिक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी व अभियुक्त अरुण कुमार के विरूद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर
2.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह
3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
4.आरक्षी अजय मिश्रा
5.आरक्षी मनीष